17/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकीलगण उप० सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुलाहिजा जमाबंदी वर्ष खिरोही सम्वत 2056-2059 से भूमि ख०नं० 884/2/3 रकबा 0.13 हे की जोतदारी का नोट वहित नं० सं. 1563 दि. 31.8.2001 के कैलाश चन्द पुत्र छन्नी धर मौजूद इसी के द्वारा दिया गया है प्रार्थी की जोतदारी वर्ष जमाबंदी के दर्ज है इसी की नामान्तरण हुई होकर प्रार्थी की जोतदारी अंकित हुई। जमाबंदी वर्ष 2067-2070 के प्रार्थी का नाम सम्मिलित हो गया तथा जोतदारी पूर्वज जोतदार के नाम दर्ज हो गयी। प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 124 LR Act का होना पाया जाता है प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वकील आपत्ति में भी कोई आपत्ति नहीं है

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आज दिनांक इसकी स्वीकार किया जाता है तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खिरोही की जमाबंदी सम्वत 2056-2059 में दर्ज जोतदार कैलाश चन्द पुत्र छन्नीधर कौम दर्जी साकिन के नाम दर्ज जोतदारी भूमि ख० 884/2/3 रकबा 0.13 हे की जोतदारी वर्तमान जमाबंदी में दर्ज की जावे अर्थात नवीन ख० 1367 रकबा 0.64 हे में से प्रार्थी की 0.13 हे की जोतदारी अलग से दर्ज की जावे आदेश की पालना में तहसीलदार

(कुन्दन राम)